भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 3574
गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 / 19 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय हवाई संपर्क में वृद्धि

3574. श्री पी.सी.मोहन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यात्रियों की अधिक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए अल्प सेवित और असेवित हवाई अड्डों के लिए उड़ानें प्रचालित करने हेतु और अधिक एयरलाइनों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग मांगों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में हवाई अड्डा अवसंरचना का समान विकास किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(घ) क्षमता संबंधी बाधाओं के संदर्भ में, विशेष रूप से प्रमुख महानगरों में हवाई अड्डों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की प्रगति क्या है और क्षेत्रीय हवाई यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): सरकार ने, देश में अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। उड़ान योजना के तहत बोली के चरणों के माध्यम से पहचानी गई मौजूदा हवाई पट्टियों का 'अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत विकास और उन्नयन के पश्चात उपयोग करते हुए, टियर-2 और टियर-3 शहरों से हवाई संपर्क बनाने का प्रयास किया गया है।

(ख): उड़ान योजना के तहत, क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन की लागत को घटाने और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतों के माध्यम से अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधियन या वीजीएफ) प्रदान करके, चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को समर्थन देते हुए क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफ़ायती बनाने की परिकल्पना की गई है। उड़ान योजना के तहत दी जाने वाली रियायतें इस प्रकार हैं:

हवाईअड्डा प्रचालक:

i) हवाईअड्डा प्रचालक आरसीएस उड़ानों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाएंगे।

ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आरसीएस उड़ानों पर कोई टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्ज (टीएनएलसी) नहीं लगाएगा।

iii) भाविप्रा द्वारा आरसीएस उड़ानों पर, सामान्य दरों का 42.50 प्रतिशत की दर से रियायती आधार पर रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लगाया जाएगा।

iv) उड़ान योजना के तहत, चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को सभी हवाईअड्डों पर प्रचालन हेतु सेल्फ-ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी जाएगी।

केंद्र सरकार:

i) इस योजना की अधिसूचना की तिथि से, तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से एसएओ द्वारा खरीदे गए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 2 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

ii) चयनित एयरलाइन प्रचालक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों एयरलाइनों के साथ कोड शेयरिंग व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।

राज्य सरकारें अपने राज्यों के भीतर स्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर:

i) अपने राज्यों के आरसीएस हवाईअड्डों पर, 10 वर्ष की अवधि के लिए एटीएफ पर वैट घटाकर 1 प्रतिशत या उससे कम करना।

ii) यदि अपेक्षित हो तो, आरसीएस हवाईअड्डों के विकास के लिए नि:शुल्क और बाधारहित न्यूनतम भूमि प्रदान करना और अपेक्षानुसार भीतरी इलाकों के साथ मल्टी-मॉडल संपर्क प्रदान करना।

iii) आरसीएस हवाईअड्डों पर सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना।

iv) आरसीएस हवाईअड्डों पर बिजली, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएँ रियायती दरों पर प्रदान करना या उपलब्ध करवाना।

v) निर्धारित वीजीएफ का एक निश्चित हिस्सा (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत और अन्य राज्यों के लिए 20 प्रतिशत) प्रदान करना।

(ग) और (घ): उड़ान एक चालू योजना है, जहां अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए, समय-समय पर बोलियों के दौर आयोजित किए जाते हैं। इच्छुक एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर मांग के अपने आकलन के अनुसार, उड़ान योजना के तहत बोली लगाने के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। वह हवाईअड्डा, जो उड़ान योजना के अंतर्गत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल है और उड़ान प्रचालन शुरू करने के लिए उसके उन्नयन/विकास की आवश्यकता है, तो उसे 'अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत विकसित किया जाता है। रनवे के विस्तार और टर्मिनल भवनों के विस्तार सहित हवाईअड्डों पर अवसंरचनाओं/सुविधाओं का उन्नयन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) या संबद्ध हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रचालनिक अपेक्षाओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है।

सरकार ने, यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे मौजूदा टर्मिनलों की अवसंरचना ढांचे में बदलाव के माध्यम से हवाईअड्डों की क्षमता में वृद्धि करना, सामान की जांच के लिए अतिरिक्त एक्स-रे मशीनों की स्थापना, सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल), एयरलाइनों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती, स्लॉट आबंटन का प्रबंधन, विमानों की भीड़ से बचने के लिए एयरलाइनों के साथ समन्वय आदि। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डों पर यात्रियों को सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने चेहरे की पहचान (facial recognition) तकनीक का उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक-आधारित डिजी यात्रा शुरू की है। पहले चरण में डिजी यात्रा की शुरूआत, दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाईअड्डों पर की गई है।

भाविप्रा और अन्य पीपीपी हवाईअड्डा प्रचालकों ने 2019-24 के दौरान, भाविप्रा द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपये सहित विभिन्न ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित, आरामदायक और ग्राहक के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए 98,000 करोड़ रुपये से अधिक के लिए कैपेक्स योजना शुरू की है।

(ङ°): उड़ान योजना के तहत, चार दौर की बोली के आधार पर, 74 अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों (9 हेलीपोर्ट्स और 02 वॉटर ऐरोड्रोम्स सहित) को जोड़ते हुए 479 मार्गों पर प्रचालन शुरू किया गया है। अब तक, 124 लाख से अधिक यात्रियों ने 2.34 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में यात्रा की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन आरसीएस के अंतर्गत 53 मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया गया है।

***